फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

बैंक ऑफ इण्डिया। जिसका प्रधान कार्यालय स्टार हाउस, सी–5, जी–ब्लॉक, बान्द्रा कुरला कॉम्पलेक्स, बान्द्र (इस्ट) मुम्बई–4000051 मे स्थित व कार्यरत है, जिसकी एक शाखा कार्यालयः– नाथद्वारा, राजसमन्द मे स्थित व कार्यरत है।

– प्रार्थी

बनाम

श्री किशनलाल पुत्र श्री गोटूलाल, पता – 110, मेघवालों की बस्ती, उपली ओडन, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला – राजसमन्द(राज.) –(ऋणी)

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 23/2020**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14/09/2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कार्यालय नाथद्वारा, राजसमन्द(राज.) में है। प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय में दिनांक 14.08.2020 को धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये खाता संख्या 668310310000364 दिनांक 22.03.2019 को ऋण राशि रूपये 14,00,000/– का ऋण लिया था। एवं अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनभुर्गतान सिक्योरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्तियों को असल कागजात प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया जो कि निम्न प्रकार से है–बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण :–श्री किशनलाल पुत्र श्री गोटूलाल की सम्पत्ति जो आराजी संख्या 395, उपली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला – राजसमन्द (राज.) में स्थित हैं जिसका पंजीकरण जिला उदयपुर में है जिसकी चतु सीमाऍ– उतर में :– बाबूलाल जी चौखा का मकान, दक्षिण में :– नानालाल जी मेघवाल का मकान, पूर्व में :– नाथद्वारा–खमनोर रोड, पश्चिम में :– नारू जी मेघवाल का मकान। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सका और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खातो को दिनांक 31.12. 2019 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप वगीकृत कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में ऋण रूपयें कुल 13,11,720/– (अक्षरे रूपये तैरह लाख ग्यारह हजार सात सौ बीस मात्र) दिनांक 01.01.2020 तक व दिनांक 01. 01.2020 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चो का पूर्ण भुगतान	

न्यायालय जिला कलक्टर

करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 03.01.2020 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्होने देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नही दिया। अप्रार्थीगण ने धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो जाने व नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नही किया हैं। इस उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उक्त अनुसूची में वर्णित सिक्यूरिटी साम्यिक बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी हैं। दिनांक 16.08.2016 को भारत का राजपत्र असाधारण भाग–II – खण्ड -1- संख्या –51 के तहत वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में संशोधन किए गए हैं, उक्त संशोधित एक्ट की धारा सेक्शन –12 जो कि निम्न प्रकार से हैं:–

(i) in the second proviso, after the words " secured assets", the word "within a period of thirty days from the date of application" shall be inserted.

(ii) After the second proviso, the following provision shall be inserted, namely :- " Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days."

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कार्यालयः– नाथद्वारा, जिला – राजसमन्द(राज.) के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कार्यालयः– नाथद्वारा को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)